



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.05.2026

1.थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस व सी.आर.टी. द्वारा मोबाइल टावरों से आर.आर.यू. चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 RRU मशीन (टावर डिवाइस), 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.05.2026 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस व सी.आर.टी. द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मोबाइल टावरों से आर.आर.यू. चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.इमरान पुत्र करामात 2.दिपान्शु पुत्र राकेश को एफएनजी सर्विस रोड़, सेक्टर-122 कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 RRU मशीन (टावर डिवाइस) चोरी के, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो नंबर-UP14CU7060 बरामद हुयी है।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम दोनों ग्रीन बेल्ट व एकांत में मोबाइल टावरों पर लगे आर.आर.यू. आदि चोरी करते है तथा मौका पाकर दिल्ली के कबाड़ियों को बेच देते है। बरामद दोनो आर.आर.यू. अभियुक्तों द्वारा 2-3 दिन पहले ही चोरी किये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. इमरान पुत्र करामात निवासी शाहपुर रझैड़ा, थाना निवाड़ी, जिला अमरोहा उम्र करीब 24 वर्ष।
2. दिपान्शु पुत्र राकेश निवासी ग्राम स्वाना थाना निवाड़ी, गाजियाबाद वर्तमान पता थाना निवाड़ी, जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त इमरान--

1. मु0अ0सं0 546/23 धारा 4/25 A.ACT थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 295/24 धारा 392 IPC थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 366/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 382/24 धारा 317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 47/24 धारा 356/379 IPC थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 112/24 धारा 356/379 IPC थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

7. मु0अ0सं0 279/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 285/24 धारा 109(1)/317(2)/317(5) BNS व 2/3/9/25/27 आयुध अधिनियम थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 471/24 धारा 109(1) BNS व 2//25/27 आयुध अधिनियम थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 154/26 धारा 317(4)/317(5) BNS व 04/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113, नोएडा।

B. अभियुक्त दिपान्शु--

1. मु0अ0सं0 269/26 धारा 04/25 A.Act थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3(5), 317(2), 317(4), 317(5) BNS थाना सिहानी गेट, जिला गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 154/26 धारा 317(4)/317(5) BNS व 04/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के 02 RRU मशीन (टावर डिवाइस)
2. 02 अवैध चाकू
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो पैंशन प्रो नंबर-UP14CU7060

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 09.04.2026 को थाना सूरजपुर पर आवेदक द्वारा सूचना दी गयी कि उनके भाई के नाम आंवटित भूखण्ड के सम्बन्ध में अभियुक्त कृष्ण सैनी के द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा तैयार कर उक्त भूखण्ड पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.05.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त कृष्ण सैनी को उसके निवास स्थान से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त द्वारा विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में मूल आंवटी से अपने पक्ष में एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 17.06.2016 को सब रजिस्ट्रार (प्रीत विहार) दिल्ली में दर्ज कराया गया था जिसके सत्यापन हेतु प्रमाणित आख्या प्राप्त की गयी तो उक्त कार्यालय से प्राप्त आख्या में उक्त वसीयतनामा दर्ज होना नहीं पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. कृष्ण सैनी पुत्र मनोहर लाला सैनी निवासी एल्डिको ग्रीन मिडोज, सेक्टर पाई -1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 58 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।